प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6439/2009

याचिकाकर्ता — के. के. सिंह

बनाम

उत्तरदाता — साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 को सूचीबध्द करें

हस्ताक्षरित/-

(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6439/2009

याचिकाकर्ता — के. के. सिंह

बनाम

उत्तरदाता — साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :–

श्री गैरी मुखोपाध्याय, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री पी. एस. कोशी, प्रतिवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 08/10/2010 को पारित)

इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने ग्रेच्युटी की राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग की है, जो उस तिथि से देय है जिस तिथि से यह देय बनती है, जैसा कि ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम, 1972 (आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित है।

(2) संक्षेप में याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता 31-07-2003 को दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बिश्रामपुर क्षेत्र से उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

याचिकाकर्ता के अनुसार, यद्यपि उन्होंने अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की धारा 7 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवेदन किया था, फिर भी भुगतान नहीं किया गया, जो कि ग्रेच्युटी (केंद्रीय) नियमों के नियम 8 के अंतर्गत किया जाना था। यह भी याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने नियम 8 के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया था, फिर भी उत्तरवादी-नियोक्ता ने न तो (फॉर्म-'एल') में और न ही (फॉर्म-'एम') में कोई सूचना जारी की।बाद में, याचिकाकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि ग्रेच्युटी की राशि को रोका गया था क्योंकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी। चूँकि ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।अधिनियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण ने दिनांक 03-01-2006 (परिशिष्ट–पी-1) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार किया और यह निर्देश दिया कि राशि ₹3,50,000/- ग्रेच्युटी के रूप में तथा 9% ब्याज सहित याचिकाकर्ता को आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए और इसकी सूचना नियंत्रक प्राधिकारी को दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्ता का आगे यह कथन है कि नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश के होने के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया, बल्कि प्रबंधन ने अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत अपील दायर की और देय राशि ₹4,28,275/- को अपीलीय प्राधिकारी / क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जबलपुर के समक्ष जमा कर दिया दिनांक 27-04-2006 (परिशिष्ट–पी-2) के आदेश द्वारा नियोक्ता की अपील खारिज कर दी गई, तथा ब्याज की दर 9% से बढ़ाकर 10% कर दी गई। इसके पश्चात, प्रबंधन ने रिट याचिका क्रमांक 2983/2006 दायर की, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई। उक्त रिट याचिका में, दिनांक 26-06-2006 (परिशिष्ट–पी-3) को न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके तहत अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर स्थगत दे दिया गया। बाद में, रिट याचिका को दिनांक 20-

03-2009 के आदेश द्वारा अंततः खारिज कर दिया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय — जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य, 2007 (1) एससीसी 663 — का अवलेख लिया गया । कानूनी कार्यवाही में हारने के बाद, अंततः प्रबंधन ने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹4,28,275/- की राशि 10-08-2009 को भुगतान की, जो वही राशि थी जो प्रबंधन द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करते समय जमा की गई थी और तब से वहीं पड़ी हुई थी।

(4) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ₹3,50,000/- की ग्रेच्युटी राशि पर 01-08-2003 से 10-08-2009 तक 10% ब्याज पाने का अधिकारी है, जो कुल ₹2,10,000/- बनता है, जबकि याचिकाकर्ता को केवल ₹78,275/- ब्याज के रूप में दिया गया है। अतः याचिकाकर्ता ₹1,31,725/- की शेष ब्याज राशि तथा उस पर भी ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दूसरी ओर, उत्तरदातायों के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो राशि अधिनियम के अंतर्गत याचिकाकर्ता को देय और भुगतानयोग्य थी, वह नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03-01-2006 के आदेश में निर्धारित की गई थी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियोक्ता ने अपील दायर करते समय ही ₹4,28,275/- की वह राशि जमा कर दी थी जो देय थी, अतः प्रबंधन ने कानून के अनुसार अपना दायित्व पूर्ण कर दिया। यह याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी थी कि वह अपीलीय प्राधिकारी से उक्त राशि जारी करने के लिए उपयुक्त आदेश प्राप्त करे। उत्तरदाता क्रमांक 1 के अधिवक्ता का आगे यह कहना है कि रिट याचिका क्रमांक 2983/2006 में दिनांक 26-06-2006 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के माध्यम से अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया था, जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। यह अंतरिम आदेश तब तक प्रभावशील रहा, जब

तक कि रिट याचिका को न्यायालय ने दिनांक 20-03-2009 को खारिज नहीं कर दिया।अतः प्रबंधन उस अवधि के लिए ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, जब मामला लंबित था और भुगतान पर न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी था, क्योंकि उस अवधि के दौरान राशि याचिकाकर्ता को दी नहीं जा सकती थी और वह राशि रिट याचिका खारिज होने के बाद ही देय बनी, जो कि अंततः नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से याचिकाकर्ता को भुगतान की गई।

(6) इस मामले के अविवादित तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 31-07-2003 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए और उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। यह भी विवादित नहीं है कि दिनांक 03-01-2006 (परिशिष्ट पी-1) के आदेश द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 को निर्देशित किया गया कि वह याचिकाकर्ता को ₹3,50,000/- ग्रेच्युटी राशि तथा उस पर सरल ब्याज 9% वार्षिक दर से 01-08-2003 से 30-12-2005 की अवधि के लिए भुगतान करे, और यह भुगतान आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाए। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित इस आदेश के विरुद्ध नियोक्ता ने अपील दायर की।नियोक्ता ने देय और भुगतान योग्य राशि ₹4,28,275/- जमा कर दी। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को खारिज कर दिया, परंतु ब्याज की दर 9% से बढ़ाकर 10% प्रति वर्ष कर दी। इसके पश्चात, रिट याचिका दायर की गई, जिसमें न्यायालय ने दिनांक 26-06-2006 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया। तत्पश्चात, यह रिट याचिका क्रमांक 2983/2006 न्यायालय द्वारा दिनांक 20-03-2009 के आदेश से अंततः खारिज कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) उपर्युक्त अविवादित तथ्यों, जो कि अभिलेखों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपने देय और भुगतान योग्य धन से वंचित रहा, पहले अपील लंबित रहने के कारण, और तत्पश्चात रिट याचिका लंबित रहने तथा उस पर पारित अंतरिम आदेश के कारण अधिनियम की धारा 7 में निहित प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ता पर यह वैधानिक दायित्व है कि वह ग्रेच्युटी

की राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करे — जो कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर देय होगा — और यह ब्याज उस तिथि से देय होगा जिस तिथि से ग्रेच्युटी भुगतान योग्य बनी, उस तिथि तक जिस तिथि को वास्तव में भुगतान किया गया। नियोक्ता को ब्याज भुगतान की जिम्मेदारी से मुक्त करने की केवल एक ही स्थिति अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3-ए) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से बताई गई है — अर्थात् यदि भुगतान में विलंब कर्मचारी की गलती से हुआ हो और नियोक्ता ने उस आधार पर नियंत्रक प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की हो। वर्तमान मामले में उत्तरवादियों का ऐसा कोई दावा नहीं है कि भुगतान में हुई देरी याचिकाकर्ता की गलती के कारण हुई थी या नियोक्ता ने नियंत्रक प्राधिकारी से ऐसी लिखित अनुमति प्राप्त की थी। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, जिसमें ब्याज का भुगतान स्वीकृत किया गया था, को अपीलीय प्राधिकारी ने केवल ब्याज दर बढ़ाकर 9% से 10% प्रति वर्ष करने तक ही संशोधित किया। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध दायर रिट याचिका भी अंततः खारिज कर दी गई। जहाँ तक उस अवधि का प्रश्न है — जब नियोक्ता ने अपील दायर करते समय ग्रेच्युटी की राशि एवं अर्जित ब्याज जमा किया था और जब वास्तविक भुगतान रिट याचिका खारिज होने के बाद हुआ — उस अवधि के लिए भी नियोक्ता को ब्याज भुगतान की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस दौरान याचिकाकर्ता अपनी देय राशि से वंचित रहा।...जो उसे नियोक्ता द्वारा दायर की गई अपील के कारण देय थी, भले ही वह राशि प्राधिकारी के समक्ष जमा कर दी गई हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) इसी प्रकार का दृष्टिकोण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राजेन्द्र देवा बनाम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (लेखा), कानपुर-कम-अपीलीय प्राधिकारी एवं अन्य, (1999 (2) लेबर लॉ जर्नल 227) के मामले में अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है:–

> "6. यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3-ए) से — जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है — कि नियोक्ता उस तिथि से जब ग्रेच्युटी देय होती है, उस तिथि तक जब उसका भुगतान किया जाता है, निर्धारित दर से साधारण ब्याज देने

के लिए उत्तरदायी है। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष राशि जमा कर देना नियोक्ता को उसकी ब्याज भुगतान की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता, जब यह स्थापित हो जाए कि नियोक्ता ने धारा 7 की उपधाराओं (2) और (3) के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन नहीं किया है। वर्तमान मामले में नियोक्ता ग्रेच्युटी की राशि निर्धारित करने में असफल रहा और याचिकाकर्ता तथा नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचना देने में भी विफल रहा, जैसा कि धारा 7(2) में अपेक्षित है। इसके अलावा, नियोक्ता ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान उस तिथि से 30 दिनों के भीतर करने में भी असफल रहा, जिस दिन यह राशि याचिकाकर्ता को देय हुई। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष राशि जमा कर देना भी, नियोक्ता को धारा 7(3-ए) में वर्णित ब्याज भुगतान की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। अतः, याचिकाकर्ता वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही, उसे ₹2,000/- का न्यायालय व्यय प्राप्त करने का भी अधिकार है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) जहाँ तक उस अवधि का संबंध है, जिसके दौरान दिनांक 26-06-2006 को रिट याचिका क्रमांक 2983/2006 में पारित अंतरिम आदेश प्रभावशील था, इस न्यायालय की राय में प्रतिवादी क्रमांक 1 उस अवधि के ब्याज के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि उस दौरान याचिकाकर्ता अपनी देय राशि से वंचित रहा जो उसे मिलनी थी।...जो उसे देय थी। अंतरिम आदेश ने केवल ग्रेच्युटी के भुगतान संबंधी आदेश के (क्रियान्वयन) को निलंबित किया था। एक बार जब रिट याचिका खारिज कर दी गई, तो देयता पुनः प्रभावी हो गई, और प्रतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा प्रबंधन पर यह दायित्व आता है कि वह याचिकाकर्ता को पूरी अवधि के लिए ब्याज

के माध्यम से क्षतिपूर्ति करे, जिसमें वह अवधि भी सम्मिलित है जब यह न्यायालय का अंतरिम आदेश प्रभावी था।

(10) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य,((2003) 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 648) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपूर्ति के सिद्धांतों को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है:–

> "27. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रतिपूर्ति का मूल स्रोत नहीं है, बल्कि यह केवल पूर्व-विद्यमान न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत की वैधानिक मान्यता है।
>
> इसी कारण यह बार-बार कहा गया है कि धारा 144 से परे भी न्यायालय के पास स्वाभाविक अधिका होता है कि वह प्रतिपूर्ति का आदेश दे सके, ताकि पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय किया जा सके। जय बेर्हाम बनाम केदार नाथ मरवाड़ी (एआईआर p. 271) के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा था:
>
> > "सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह पक्षकारों को उसी स्थिति में रखे जिसमें वे होते, यदि वह डिक्री या उसका वह भाग, जो बाद में परिवर्तित या निरस्त किया गया, अस्तित्व में न होता।
> >
> > वास्तव में, यह कर्तव्य केवल उक्त धारा के अंतर्गत नहीं उत्पन्न होता, बल्कि यह न्यायालय के सामान्य अधिकार क्षेत्र में निहित है, ताकि सभी पक्षकारों के प्रति परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से कार्य किया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रॉजर बनाम कॉम्प्टोयर डी'एसकॉम्प्ट डी पेरिस (ईआर पी.125) के मामले में लॉर्ड केर्न्स, एल.सी. ने कहा था:

> "[न्यायालयों का पहला और सर्वोच्च कर्तव्य यह है कि न्यायालय का कोई भी कार्य किसी भी पक्षकार को हानि न पहुँचाए। और जब 'न्यायालय का कार्य' कहा जाता है, तो उसका अर्थ केवल अधीनस्थ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के कार्य से नहीं है, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र के कार्य से है — उस सबसे अधीनस्थ न्यायालय से जो मामले पर अधिकार क्षेत्र रखती है, लेकर उस सर्वोच्च न्यायालय तक जो मामले का अंतिम निपटान करती है।]"

यह सिद्धांत इस विचार पर भी आधारित है कि किसी गलत आदेश को जीवित रखकर उसका सम्मान करना न्यायोचित नहीं है (देखें — ए. अरुणगिरि नादर बनाम एस.पी. रथिनासामी)। ऐसे स्वाभाविक अधिकारों के प्रयोग में, न्यायालयों ने प्रतिपूर्ति के सिद्धांत को अनेक ऐसी परिस्थितियों में लागू किया है, जो यद्यपि धारा 144 के शब्दों के दायरे में नहीं आतीं, परंतु न्याय के सिद्धांतों की दृष्टि से आवश्यक थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 में निहित वैधानिक आदेश के अनुसार, नियोक्ता को ग्रेच्युटी के भुगतान — चाहे वह ब्याज सहित हो या बिना ब्याज के — से मुक्त करने का कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं है, किसी भी आधार पर, यहाँ तक कि इस आधार पर भी नहीं कि मामला विभिन्न मंचों पर विचाराधीन था। यह पहलू सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एच. गंगहनुमे गौड़ा बनाम कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ((2003) 3 एससीसी 40) के मामले में विचारार्थ आया था, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:–

> "7. यह धारा 7(2) से स्पष्ट है कि जैसे ही ग्रेच्युटी देय होती है, नियोक्ता पर यह दायित्व होता है कि — चाहे आवेदन किया गया हो या नहीं — वह ग्रेच्युटी की राशि निर्धारित करे, और जिस व्यक्ति

को ग्रेच्युटी देय है उसे तथा नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचना दे, जिसमें देय ग्रेच्युटी की राशि का विवरण हो।धारा 7(3) के अंतर्गत, नियोक्ता को यह व्यवस्था करनी होती है कि ग्रेच्युटी की राशि देय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसका भुगतान कर दिया जाए। धारा 7(3-ए) के अंतर्गत, यदि नियोक्ता निर्धारित अवधि के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करता, तो उसे उस तिथि से जब ग्रेच्युटी देय हुई थी, उस तिथि तक जब उसका भुगतान किया गया, सरल ब्याज (simple interest) देना होगा — जिसकी दर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दीर्घकालिक जमा की वापसी के लिए अधिसूचित दर से अधिक नहीं होगी। परंतु, यह भी प्रावधान है कि यदि भुगतान में विलंब कर्मचारी की गलती के कारण हुआ है, और नियोक्ता ने इस आधार पर नियंत्रक प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की है, तो ऐसे मामले में ब्याज देय नहीं होगा। धारा 7 में किए गए प्रावधानों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि नियोक्ता पर यह स्पष्ट आदेश (clear command) है कि वह निर्धारित अवधि में ग्रेच्युटी का भुगतान करे और यदि भुगतान में देरी हो, तो उस पर ब्याज का भुगतान करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियोक्ता को ब्याज सहित या बिना ब्याज के ग्रेच्युटी भुगतान से मुक्त करने का कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं है।

हालाँकि, धारा 7(3-ए) के उपबंध (proviso) के अंतर्गत, ब्याज का भुगतान तब नहीं किया जाएगा, यदि ग्रेच्युटी भुगतान में विलंब कर्मचारी की गलती से हुआ हो और साथ ही यह शर्त भी पूरी हो कि नियोक्ता ने नियंत्रक प्राधिकारी से इस आधार पर लिखित अनुमति प्राप्त की हो।

(9) उपर्युक्त एकल न्यायाधीश के आदेश से उद्धृत अंश से यह स्पष्ट है कि ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज केवल इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि

जांच लंबित रहने के दौरान यह संदेह था कि अपीलकर्ता को ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि का अधिकार है या नहीं, क्योंकि उस समय न्यायालयों में इस विषय पर विभिन्न मत प्रचलित थे। एकल न्यायाधीश ने जब यह निर्णय दे दिया कि अपीलकर्ता ग्रेच्युटी के भुगतान का अधिकारी है, तो उन्हें अधिनियम की धारा 7(3-ए) को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज देने से इनकार करने का अधिकार नहीं था। यह उत्तरदाता का यह मामला नहीं था कि ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी कर्मचारी की गलती से हुई थी, या उसने इस आधार पर नियंत्रक प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की थी।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 7 के प्रावधानों में नियोक्ता पर यह स्पष्ट आदेश है कि —1. वह निर्धारित समय के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान करे, और 2. विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 8 में यह भी प्रावधान है कि यदि ग्रेच्युटी की देय राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा नहीं किया जाता, तो उस राशि की वसूली चक्रवृद्धि ब्याज सहित की जा सकती है। चूँकि नियोक्ता धारा 7(3-ए) के उपबंध (proviso) में उल्लिखित अनिवार्य शर्तों का पालन करने में असफल रहा, इसलिए ब्याज के भुगतान से इनकार करने के लिए कोई विवेकाधिकार शेष नहीं था। दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह पाते हुए भी कि अपीलकर्ता ब्याज पाने का अधिकारी है, एकल न्यायाधीश द्वारा ब्याज न देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया विवेकाधिकार प्रयोग मनमाना नहीं कहा जा सकता। परंतु, जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, एकल न्यायाधीश को अधिनियम की धारा 7 में निहित अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ब्याज देने से इनकार करने का कोई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकार नहीं था। अतः, खंडपीठ ने यह मानते हुए कि एकल न्यायाधीश इस मामले में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, और यह मानकर कि "ब्याज प्रदान करने के विषय में विवेकाधिकार के प्रयोग को मनमाना नहीं कहा जा सकता", एक त्रुट की है।

(12) उपर्युक्त सभी विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि याचिकाकर्ता उस ग्रेच्युटी राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है, जो उसे देय थी, और वह अपील प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर से वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय होगा।चूँकि वैधानिक अपील दाखिल करते समय नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष जमा की गई राशि पहले ही याचिकाकर्ता को वितरित की जा चुकी है, अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में शेष देय ब्याज की राशि का भुगतान करे।चूँकि याचिकाकर्ता वर्ष 2003 में ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, अतः उसे देय ब्याज की शेष राशि का भुगतान इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

(मनीन्द्र मोहनश्रीवास्तव)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ishan Sharma